न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 27/2021
GCMS NO. : 2021/66

-: प्रार्थीया :-

1. बिदामी पत्नी गुदड़
जाति- मेघवाल ग्राम बिरोल,
तहसील- जैतारण जिला पाली।

बनाम

-: अप्रार्थीगण :-

1. मोहनलाल पुत्र मांगीलाल
2. मनोहरलाल पुत्र मांगीलाल
3. मदनलाल पुत्र मांगीलाल
4. गीता पुत्री मांगीलाल
5. सुनीदेवी पुत्री मांगीलाल
6. भीदामी पुत्री मांगीलाल
जातिया- भाम्बी, निवासीगण- बेरा खेकड ग्राम निम्बोल, तहसील- जैतारण, जिला पाली राज0।
7. तहसीलदार जैतारण(भूमिधारी राजस्थान सरकार) तहसील- जैतारण, जिला- पाली(राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजू:- 18.03.2021

उपस्थितः-

1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::

दिनॉकः-15/06/2022

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम निम्बाल पटवार हल्का निम्बोल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे सायला एवं गैरसायलान की अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 185 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व ख0 नं0 186 रकबा 13 बिस्वा गै0 मु0 बेरा की आई हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में सायला का 1/2 हिस्सा तथा गैरसायलान् का 1/2 हिस्सा दर्ज है इसी हिस्से अनुसार सायला एवं गैरसायलान् मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि सायला एवं गैरसायलान् की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है [illegible] एण्ड बाउण्ड्स के कानूनी बटवाडा नहीं हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि सायला एवं गैरसायलान् के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है, परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से आये दिन गैरसायलान् सायला के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं सायला की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी व पटियो को तोडफोडकर देते है एवं सायला को हर समय उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर सायला एवं गैरसायलान् अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थनापत्र के साथ मौके की स्थिति का नजरी नक्शा साथ पेश किया जा रहा है जिसमे सायला के 1/2 हिस्से को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं गैरसायलान् के 1/2 हिस्से को हरे रंग से दर्शाया गया है तथा मिमीवादीगण एवं गैरसायलान् इसी अनुसार मौके पर अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर शांतिपूर्वक तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते चले आ रहे है। नजरी नक्शे को प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उक्त कृषि भूमि सायला एवं गैरसायलान् की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि होने से सायला अपने हक हिस्से व बंट की भूमि मे आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतू बैंक से ऋण नहीं ले सकती तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषिं प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं करवा सकती एवं अनको प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड रहा है एवं अनेको प्रकार की कठिनाईयो तथा समस्याओ का समना करना पड़ता है इसलिए सायला ने गैरसायलान् को उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर अपने हक हिस्से बंट अनुसार बंटी हुई है का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा करवाने हेतू दिनांक 07/03/2021 को कहा तो गैरसायलान् स्पष्ट रूप इंकार हुए एवं गैरसायलान् ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी क्रेता को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देगे एवं सायला को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देंगे एवं काश्त तथा काश्त मुतालिक तमाम कार्य नहीं करने देगे। सायला अकेली एवं महिला है तथा गैरसायलान् जो कि संख्या व शक्ति मे ज्यादा है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए गैरसायलान् आये दिन सायला के हक हिस्से की भूमि मे दखलन्दाजी करते है तथा काश्त व काश्त मुतालिक कार्य मे दखलन्दाजी करते रहते हैं जबकि गैरसायलान् को ऐसा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है फिर भी यदि गैरसायलान् अपने इन नापाक इरादो मे अनिनिहामीकामयाब हो जाते है एवं सायला को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है एवं सायला के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है तो सायला को आपूर्णीय क्षति होगी एवं सायला अपने जायज हक हकूको एवं अधिकार खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगी तथा अनेकों प्रकार की मुकदमेबाजी होगी जिससे विविध प्रकार की पेचीदगिया बढेगी। जिससे सायला खर्चे से जेरबार हो जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

इसलिए सायला के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् जी के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त कृषिभूमि का सायला खातेदार काश्तकार होने से एवं सायला का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से सायला अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने के अधिकारी है तथा मौके पर सायला का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर माफिक मौके पर काबिज स्थिति अनुसार कब्जा काश्त होने से एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हरदृष्टिकोण से सायला के पक्ष मे है यदि गैरसायलान् बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है एवं सायला को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते है तथा काश्त सम्बन्धित तमाम कार्य करने मे दखलन्दाजी करते रहते है तो एवं कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग करते है एवं मौके पर कच्चा पक्का निर्माण करते है तो सायला को असीम हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं मल्टीप्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिग्स् बढेगी। इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने हेतू यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र नजरी नक्शा एवं दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 01 मे वर्णित सरहद मौजा ग्राम निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे सायला एवं गैरसायलान् की अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 185 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम ख0 नं0 186 रकबा 13 बिस्वा गै0 मु0 बेरा में से सायला अपने हक हिस्से व बंट की भूमि जिस पर सायला मौके पर काबिज काश्त है मे काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य खडाई बुवाई कटाई निराई गुडाई सिंचाई आदि करे या करावे तो उसमे गैरसायलान् उनके बाल बच्चे नोकर चाकर हाली एजेन्ट रिश्तेदार नातेदार आदि किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दाजी एवं अडचन व्यवधान रोकटोड आदि तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे व जब तक उक्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा नही हो जाता तब तक गैरसायलान् उक्त संयुक्त सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि नही करे एवं सायला को उसके कब्जे काश्त से बेदखल नही करे तथा उक्त कृषि भूमि को खूर्द बुर्द नही करे परिवर्तन नही करे कच्चा पक्का निर्माण नही करे तथा सायला के काश्त व काश्त मुतालिक किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखने बाबत् जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे। साथ ही रूह से अन्य कोई इस्तदुआ सायला प्राप्त करने का अधिकारी हो तो दिलायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मनस् सूचना/तामिली के अनुपस्थित रहनें इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस अधिवक्ता प्रार्थीया की सुनी गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के कानून बंटवाड़ा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी में वादीया का 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसके बन्टवाड़ा करवाने का वादीया को अधिकार हैं जबकि अप्रार्थीगण बन्टवाड़ा नहीं करवाना चाहते है एवं वादीया के हक हिस्से में दखलान्दाजी करते है।

चुंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि है तथा प्रत्येक खातेदार को कानूनन अपना हक एवं हिस्सा विभाजित करवाने का अधिकार होता है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता हैं लिहाजा प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. सुविधा का सवुंलन :- चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त अविभाजित आराजी के सहखातेदार है तथा प्रत्येक सहखातेदार अपने हक हिस्से तक ऐसी आराजी के उपयोग एवं उपभोग तथा कब्जा काश्त का अधिकारी होता है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :- चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित हुये है साथ ही भू-अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि यदि उभयपक्षकारान् को पाबन्द नहीं किया जाता है तो यह पूर्ण आशंका है कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण किया जा सकता है तथा ऐसे होनें पर वाद में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी एवं विलम्ब होगा। जिससे प्रत्यक्ष रूप से उभयपक्ष प्रभावित होगें। अतः यह स्पष्ट है कि यदि उभयपक्षकारान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जाती है तो उभयपक्षकारान् को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर इस मंच का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में कानूनन बंटवारा बाबत् वाद न्यायालय हाजा में जैरेकार है तथा ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

का अपरिवर्तित रखना प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन् के आवश्यक है लिहाजा उभयपक्षकारान् को वादग्रस्त आराजी को बैचान, हस्तान्तरण न करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 185 रकबा 1–07 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं ख0 नं0 186 रकबा 00–13 बीघा किस्म गै0 मु0 बेरा का रहन, बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनॉक 15/06/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:38 IST
Reason: SelfAttested